न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **04/22 (वाद)**

GCMS No. : 2022/15

1. श्री जगदीशचन्द्र पिता कन्हैयालाल कुम्हार निवासी रख्यावल तहसील मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता नाथुलाल बलाई निवासी बेदला तहसील बडगांव।
2. श्री कालुलाल पिता रामा बलाई निवासी रख्यावल तहसील मावली।
3. श्री जमनाशंकर पिता तोलीराम खटीक निवासी सांगवा तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 13.01.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली में आराजी नम्बर 1788 रकबा 0.0647 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2323/1788 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं।
2. यह कि उक्त आराजी की भूमि के मूल आराजी संख्या 1788 रकबा 16 बिस्वा भूमि होकर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नाथुलाल पिता रामा बलाई व प्रतिवादी संख्या 23 कालुलाल बलाई के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज रेकार्ड थी जिन्होने आपसी सहमति बंटवाडा से उक्त भूमि का विभाजन कर लिया, उसके बाद उक्त आराजी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नाथुलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 कालु बलाई ने उक्त मूल आराजी की भूमि का आपसी सहमति विभाजन कर लिया तथा उसके बाद उक्त नाथुलाल एवं कालुलाल बलाई ने आवासीय सम्परिवर्तन तहसीलदार मावली से दिनांक 10.08.2011 को करा लिया गया।
3. यह कि प्रतिवादी के पिता नाथुलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त आराजी की भूमि का [illegible] के बाद सम्पूर्ण भूमि को श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:27 IST
Reason: SelfAttested

नाथुलाल बलाई एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से बिकाव कर कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया तथा इस प्रकार उक्त मूल आराजी संख्या का आवासीय सम्परिवर्तन होने के बाद मूल आराजी संख्या 1788 के वाद वर्णित अनुसार सम्परिवर्तन आराजी नम्बर बनाये गये। इस तरह प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के द्वारा सम्पूर्ण आवासीय रकबा 648 वर्गमीटर एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपना सम्पूर्ण आवासीय रकबा वादी को पंजीकृत बिकावनामें से विक्रय कर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि 2,50,000/— अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये प्राप्त कर विक्रय विलेख का निष्पादन वादी के पक्ष में कर दिनांक 11.08.2011 को उप पंजीयक कार्यालय मावली में पंजीबद्व करा दिया तथा कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया तब से उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई कब्जा, काश्त व आधिपत्य नहीं है।

4. यह कि इस प्रकार वाद वर्णित आराजी की भूमि का आवासीय सम्परिवर्तन होने के बाद राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती व सेवन से उक्त आराजी की भूमि कि किस्म कृषि से आबादी में दर्ज नहीं हुई तथा उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नाथुलाल पिता रामा बलाई का निधन हो गया, उसके निधन के बाद उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने बिना अधिकार के उक्त भूमि वादी को विक्रय करने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 को शून्य विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 को हस्तान्तरित कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था इस तरह राजस्व अभिलेख में वाद वर्णित आराजीयात की भूमि बाबत् प्रतिवादीगण के नाम पर किया गया इन्द्राज वादी के पंजीकृत बिकावनामा दिनांक 11.08.2011 के मुकाबले प्रारम्भतः शून्य, अवैध होकर वादी के अधिकारों के मुकाबले बेअसर हैं।

5. यह कि इस तरह वाद वर्णित आराजीयात की सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नाथुलाल बलाई व प्रतिवादी संख्या 2 कालुलाल बलाई द्वारा वादी को पंजीकृत बिकावनामें से बिकाव कर बिकावनामें का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में मावली में दिनांक 11.08.2011 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 11 के पृष्ठ संख्या 199, क्रम संख्या [illegible]/2011 पर पंजीबद्व किया गया तथा उक्त विक्रय विलेख विक्रेता नाथुलाल बलाई व प्रतिवादी संख्या 2 कालुलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rohadia
Date: 2025.03.07 14:41:27 IST
Reason: SelfAttested

बलाई द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्व कराने के बाद वादी ने उक्त विक्रय विलेख के आधार पर भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पर नामान्तरित कराने के लिए बिकावनामा राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों के यहां पेश किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों की गलती व सेहवन से वादी द्वारा क्रयशुदा उक्त वाद वर्णित आराजीयात की भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में नामान्तरित नहीं हुई तथा राजस्व अभिलेख में भूमि की किस्म भी कृषि से आबादी में दर्ज नहीं होने से तथा प्रतिवादीगण के नाम पर भूमि राजस्व अभिलेख में नामान्तरित नहीं हुई तथा राजस्व अभिलेख में भूमि की किस्म भी कृषि से आबादी में दर्ज नहीं होने से तथा प्रतिवादीगण के नाम पर भूमि राजस्व अभिलेख में बिना अधिकार के दर्ज हो जाने वो वादी के अधिकारों को चुनौती दे रहे है ऐसी अवस्था में वादी वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण भूमि की किस्म आबादी में दर्ज कराने के साथ ही कथित बिकावनामें के आधार पर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर दर्ज कराने की घोषणा कराने का कानूनन अधिकारी हैं।

6. यह कि प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को मौके से किसी भी तरीके से बेदखल करने की धमकी दे रहे है जबकि वादी ने उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 से आबादी सम्परिवर्तन होने के बाद पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे वादी का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है तथा अपुर्णीय क्षति भी वादी को होने वाली है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

7. यह कि वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 22.11.2021 को उत्पन्न हुआ जब वादी को उक्त खरीदशुदा वाद वर्णित आराजी की भूमि पर ऋण लेने की जरूरत होने पर खाते की नकल हेतु हल्का पटवारी से लेने गया तो हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है उसके बाद प्रतिवादीगण को वादी ने भूमि इनके नाम पर कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया उसके बाद वाद कारण विरूद्व प्रतिवादीगण लगातार जारी हैं।

8. अन्त में निवेदन किया कि वादी के [illegible] प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात की सम्पूर्ण भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अभिलेख में आबादी में दर्ज करते हुए वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज फरमाई जावे तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वाद वर्णित आराजी की भूमि पर वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा मौके तथा रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

10. अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 330 पर दर्ज आराजी नम्बर 1788 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हैं तथा खाता संख्या 138 पर दर्ज आराजी नम्बर 2323/1788 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज हैं। दिनांक 10.08.2011 को उक्त वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार मावली के द्वारा सम्परिवर्तन किया जा चुका हैं परन्तु जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं होने से रेकार्ड में उक्त भूमि आवासीय नहीं होकर कृषि भूमि चली आ रही हैं। उक्त कथन को स्वयं वादी भी स्वीकार कर रहा है कि वादग्रस्त भूमि का सम्परिवर्तन हो चुका हैं। सम्परिवर्तन होने के पश्चात् वादी द्वारा उक्त भूमि का क्रय किया गया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार मावली के आदेश दिनांक 10.08.2011 से ही आवासीय भूमि हैं। केवल मात्र रेकार्ड में उक्त भूमि का अमल दरामद आवासीय नहीं हुआ हैं। अतः सम्परिवर्तित आवासीय भूमि का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। इस सम्बन्ध में वादी को वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था। राजस्व न्यायालय को केवल मात्र कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद सुनने का ही क्षेत्राधिकार हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज योग्य पाया जाता है तथा तहसीलदार मावली हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.03.07 14:41:27 IST
Reason: SelfAttested

घासा को उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक 738–742 दिनांक 10.08.2011 एवं आदेश क्रमांक 743–747 दिनांक 10.08.2011 अनुसार सम्परिवर्तन का नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार घासा को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार मावली के सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 738–742 दिनांक 10.08.2011 एवं आदेश क्रमांक 743–747 दिनांक 10.08.2011 अनुसार सम्परिवर्तन का नामान्तरकरण नियमानुसार पारित करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।
पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री जगदीशचन्द्र पिता कन्हैयालाल कुम्हार निवासी रख्यावल तहसील मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता नाथुलाल बलाई निवासी बेदला तहसील बडगांव।
2. श्री कालुलाल पिता रामा बलाई निवासी रख्यावल तहसील मावली।
3. श्री जमनाशंकर पिता तोलीराम खटीक निवासी सांगवा तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 04/22 (वाद) GCMS No. – 2022/15

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार घासा को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार मावली के सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 738–742 दिनांक 10.08.2011 एवं आदेश क्रमांक 743–747 दिनांक 10.08.2011 अनुसार सम्परिवर्तन का नामान्तरकरण नियमानुसार पारित करना सुनिश्चित करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:27 IST
Reason: SelfAttested